

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 122/2017



1. गोपाल पुत्र रामचन्द्र
2. गेंदीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति मालियान निवासी खवारावजी तहसील नांगल राजावतान ...अपी0
बनाम

राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

...रेस्प0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.10.2017 व
न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान, दौसा

उपस्थित : 1.श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 26.12.17

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान ने दिनांक 16.10.2017 को ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0 न0 3723 रकबा 0.01 है0 किस्म बरानी ए (सिवायचक) पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।


विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अधिनस्थ तहसीलदार के कार्यालय में अन्तर्गत धारा 91 प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांटस के आराजी खसरा नंबर 3723 वाके ग्राम खवारावजी क् एक एयर भूभाग पर सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण किया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधिनस्थ तहसीलदार जी द्वारा अपीलांट को सूचना पत्र प्रचलित कर दिनांक 17.07.17 को तलब किया गया। अपीलांटस ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलांटस ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नं0 3730 पर अपीलांटस ने 10 दुकानात पश्चिम मुखी अर्सा करीब बीस वर्ष पूर्व निर्माण करवाई थी जिन पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट की दुकान के आगे ग्राम खवा से दौसा आने वाली सडक है। सडक मार्ग व अपीलांट की खातेदारी की भूमि के बीच खसरा नंबर 3723 भूमि रकबा 3 एयर है जो सडक सीमा मे है। पटवारी हलका द्वारा अपीलांटस का उक्त भूमि के एक एयर भू भाग पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, इससे पूर्व अपीलांटस को अतिक्रमी नहीं बताया जा रहा है। अपीलांटस ने अधिनस्थ तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.07.17 के विरुद्ध अपील न्यायालय मान्य में प्रस्तुत कर दी थी जो न्यायालय मान्य में विचाराधीन है न्यायालय द्वारा अधिनस्थ तहसील कार्यालय से प्रकरण की पत्रावली दिनांक 20.11.2017 तक न्यायालय में मंगवाने का आदेश पारित फरमाया था। आदेश तहसील कार्यालय में पहुंच चुका है जिसके बावजूद तहसीलदार ने पुनः दिनांक 16.10.2017 के लिए अपीलांटस को तलब कर प्रश्नगत आदेश पारित कर अपीलांटस को 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया। शीर्षक प्रकरण में निर्णय दिनांक 17.7.2017 एवं प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.10.17 एक ही प्रकरण में तीन माह के

अन्तराल में दो बार आदेश पारित करना न्यायालय मान्य की पालना पत्रावली नहीं भेजकर तहसीलदार ने अपील अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। तहसील कार्यालय ने पटवारी हलका ने बिना पैमायश असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत मात्र एक एयर भूमि निर्माण में शामिल होने का आरोप लगाकर अपीलांट को दण्डित फरमाकर अत्यंत कठोर एवं दुस्साहस पूर्ण कार्यवाही है, अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलांटस को न केवल 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश फरमाया है बल्कि 0-9 रुपये यानी नौ पैसा शास्ति फसल जप्ति नीलामी एवं निर्माण कब्जे में लेकर नीलामी का आदेश भी फरमाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट की भूमि के पास सिवायचक भूमि है, तो वे स्वयं सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है, उनको विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाकर प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। पटवारी हल्का द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार चरागाह भूमि होने पर ही अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं लिखित बहस पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "पुख्ता दुकान निर्माण" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट राजकीय सिवायचक भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। मौके की सीमाज्ञान के लिए अपीलांट स्वयं स्वतंत्र है और जब वे स्वयं आश्वस्त है कि उनकद दुकान आदि खातेदारी भूमि में है, तो उनको सीमाज्ञान स्वयं को ही करवाकर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। किंतु ऐसा नहीं कर उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये। अपीलांट अपनी बात कहने में असफल रहे हैं। कार्यवाही से बचने के लिए स्वयं की भूमि होना बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा